रकम मु0 24,600-00 रू0 निर्धारित ... शीर्षक में चालान संख्या 21 दिनांक 24.03.2017 द्वारा जमा किये गये है। पत्रावली पर ... आख्या दिनांक 10.01.2017 से स्पष्ट है कि नियम 85(3) के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि पर कृषि से जुडा कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि बागवानी कुक्कुट पालन मत्स्य पालन के रूप में प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। भूमि की बाउण्ड्रीवाल बनी है, मौके पर सडक बनी है तथा प्लाटिंग का कार्य हो रहा है, जो आबादी के रूप में विकसित हो रही है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 (4) के अनुसार अकृषक/आबादी घोषित किये जाने से सार्वजनिक, न्यूसेन्स होने की सम्भावना नहीं है। प्रश्नगत् भूमि के अकृषक घोषित किये जाने से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना नहीं है व उक्त भूमि महायोजना के अन्तर्गत नहीं आ रही है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तहसीलदार टूण्डला द्वारा प्रस्तुत आख्या से सहमत होते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत मौजा टूण्डली तहसील टूण्डला के खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकबा 0-202 है0 लगानी मु0 6.55 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकबा 1-210 है0 लगानी मु0 39.40 रू0 भूमि में से नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकबा 0-164 है0 लगानी मु0 7.00 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकबा 0-164 है0 लगानी मु0 5.00 रू0 भूमि की कृषि भूमि से अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टूण्डला की जाँच आख्या दिनांक 10.01.2017 को स्वीकार करते हुए ख्याली राम पुत्र हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला की मौजा कोटकी स्थित खतौनी 1420 लगायत 1425 फ0 के खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकबा 0-202 है0 लगानी मु0 6.55 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकबा 1-210 है0 लगानी मु0 39.40 रू0 भूमि में से नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित खाता सं0 53 के गाटा सं0 775 रकबा 0-164 है0 लगानी मु0 7.00 रू0 एवं खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 774 रकबा 0-164 है0 लगानी मु0 5.00 रू0 भूमि को अकृषक/आबादी भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक टूण्डला को प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 27.03.2017

27/3/17

(संगम लाल यादव)
सहायक कलैक्टर(प्र0श्रे0)/
उप जिलाधिकारी, टूण्डला।

उक्त आदेश सदिनांक व हस्ताक्षरित मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक : 27.03.2017

27/3/17

(संगम लाल यादव)
सहायक कलैक्टर(प्र0श्रे0)/
उप जिलाधिकारी, टूण्डला।

1. क्रम संख्या 763
2. प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम श्री योगेश कुमार ...
3. प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 3/5/17
4. नकल तैयार करने का दिनांक 7/5/17
5. नकल जारी करने का दिनांक ...

सत्य प्रतिलिपि